

Notes for - M.A. sem-III, CC-13, unit-IV

Topic - संवैधानिक परिवर्तन और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया :-

(1) भारतीय परिषद् अधिनियम 1861 :- 1858 ई. के भारत सरकार

अधिनियम ने यद्यपि कम्पनी शासन का अंत कर दिया, परंतु इसने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव लाने की मांग जोर पकड़ने लगी। इस बात को महसूस किया गया कि भारतीयों के लिए कानून बनाने वाली संस्था को भारतीय निवासियों को भी जानना चाहिए, अन्यथा उनके पास विद्रोह करने के अतिरिक्त और अन्य कोई उपाय नहीं बचेगा।

कुछ प्रमुख भारतीयों, जिनमें सर्वप्रथम

सर सैयद अहमद खान, ने महसूस किया कि 1857 ई. के विद्रोह का एक प्रमुख कारण यह था कि शासक एवं शासितों के बीच कोई सम्पर्क सूत्र नहीं था। अनेक अंग्रेजों ने इस नीति के परिणाम की मांग की। इसके अतिरिक्त 1853 ई. के चार्टर एक्ट में कानून बनाने की जो व्यवस्था थी, वह दोषपूर्ण थी। विधान परिषद् एवं गवर्नर जनरल में आपसी ताल-मेल नहीं बँटता था। कौंसिल के रजिस्टर के कारण निर्णय लेने में भी देर होती थी। इस अवस्था को दूर करने हेतु 1861 ई. में भारतीय परिषद् अधिनियम पारित किया गया।

अधिनियम के चारों मुख्यतः निम्नलिखित

थी - (i) राजस्व की कार्रकारी परिषद् का विस्तार कर दिया गया। कौंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वाँ सदस्य कानूनी जानकार बनाया गया। अब इसे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल कहा जाने लगा।

- ②. वायसराय को कार्य करने के लिए अपनी सुविधागुहार निगम बनाने का अधिकार दिया गया। इस आधार पर लॉर्ड कैनिंग के/ने विभागीय प्रणाली का आरंभ किया। जिसने प्रेसीडेंसी व्यवस्था की जन्म दिया। प्रशासनिक विभाग विभिन्न सदस्यों के जिम्मे कर दिए गए जिसके लिए वे वायसराय के प्रति उत्तरदायी होते थे। महत्वपूर्ण विभागीय प्रश्नों पर वायसराय का परामर्श लिखा जाता था।
- (3.) वायसराय की कार्यकारी परिषद् में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 से 12 रखने की व्यवस्था की गई। इनका मुख्य काम कानून बनाना था। जिस समय अतिरिक्त सदस्य कार्यकारी की बैठक में कानून बनाने के लिए सम्मिलित हो, वैसी अवस्था में इसे लेजिस्लेटिव कांसिल (विधायिका परिषद्) कहा जाता था। इन सदस्यों में कम-से-कम आधे सदस्य गैर-सरकारी होते थे। इन सदस्यों का मनोनयन वायसराय द्वारा होता था। इसमें कुछ अंग्रेजी लोगों के भारतीयों को भी शामिल किया गया। इन सदस्यों की अवधि दो वर्षों की थी। तत्पश्चात् इनका पुनः मनोनयन हो सकता था।
- (4.) लेजिस्लेटिव कांसिल द्वारा पास किए गए कानून वायसराय की स्वीकृति के पश्चात् पूर्णरूप से कानून बन जाते और स्वयंसेवक अंग्रेजी क्षेत्र में इन्हें लागू किया जा सकता था; लेकिन भारत सचिव इन कानूनों को रद्द भी कर सकता था।
- (5.) इस एकट के द्वारा बम्बई और मद्रास के लिए कानून बनाने तथा उनमें संशोधन लाने के लिए प्रांतीय विधान सभाओं के गठन का अधिकार जनरलों को दिया गया। इसी आधार पर बाद में बंगाल, उत्तर-पश्चिमी प्रान्त और पंजाब में विधान परिषदें गठित की गईं। जनरलों को कम-से-कम 4 और अधिक से अधिक- 8 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार मिला। इनमें आधे सदस्य गैर-सरकारी होते थे एवं उनका मनोनयन भी दो वर्षों के लिए होता था। प्रांतीय विधायिकाओं को सिर्फ प्रांतीय मामलों से संबंधित मामलों में ही वायसराय की सहायता से कानून बनाने का अधिकार दिया गया।